

सं. 1/4(i)2025-ई.II(बी)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

कर्तव्य भवन 1, कर्तव्य पथ

नई दिल्ली - 110001

दिनांक 06.10.2025

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की दरों में संशोधन - 01.07.2025 से प्रभावी।

अधोहस्ताक्षरी को, उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 02 अप्रैल, 2025 के का.ज्ञा. सं. 1/1(1)/2025-ई.II(बी) का संदर्भ लेने और यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रपति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते की दरों को **01 जुलाई, 2025 से मूल वेतन के 55% से बढ़ाकर 58%** कर दिया जाएगा।

2. संशोधित वेतन संरचना में 'मूल वेतन' शब्द का अभिप्राय सरकार द्वारा स्वीकृत 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, वेतन मैट्रिक्स में निर्धारित लेवल में आहरित वेतन से है किन्तु इसमें विशेष वेतन आदि जैसा अन्य प्रकार का कोई वेतन शामिल नहीं है।

3. यह महंगाई भत्ता, पारिश्रमिक का एक भिन्न कारक बना रहेगा और इसे एफआर 9(21) के तहत वेतन नहीं माना जाएगा।

4. महंगाई भत्ते की मद में 50 पैसे और उससे अधिक के अंश का भुगतान अगले उच्चतर रुपए के पूर्णांक में किया जाए और 50 पैसे से कम अंश को नजरअंदाज किया जाए।

5. ये आदेश, रक्षा सेवा प्राक्कलनों से वेतन प्राप्त करने वाले सिविल कर्मचारियों पर भी लागू होंगे और यह व्यय, रक्षा सेवा प्राक्कलनों के संगत शीर्ष के नामे डाला जाएगा। सशस्त्र बल कर्मियों और रेलवे कर्मचारियों के संबंध में, क्रमशः रक्षा मंत्रालय और रेल मंत्रालय द्वारा अलग से आदेश जारी किए जाएंगे।

6. जहां तक भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत कर्मचारियों का संबंध है, ये आदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 के खंड (5) के तहत यथा अधिदेशित भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं।



(समीर कुमार दास)

उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (मानक वितरण सूची के अनुसार)।

प्रतिलिपि: नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग आदि (मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार)।